पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ -226002 :e- mail : tshq@nic.in

पत्र संख्याः-टीएस-सीसीटीएनएस -06/2010(25) दिनाँक: अगस्त , 2025

सेवा में,

1. **पुलिस आयुक्त –** समस्त कमिश्नरेट, उ0प्र0।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक –** समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषय:-BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस की आनलाइन सीसीटीएनएस में व्यवस्था निर्मित किये जाने विषयक।

कृपया सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक सितम्बर 26, 2024 को आहूत ICJS 2.0 स्टेट इम्पावर्ड कमेटी की गोष्ठी के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या- 1(v) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस की कार्यवाही की व्यवस्था को सीसीटीएनएस में निर्मित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त क्रम में इस मुख्यालय द्वारा सीसीटीएनएस कैस आनलाइन साफ्टवेयर पर व्यवस्था निर्मित कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

(i) सीसीटीएनएस कैस आनलाइन साफ्टवेयर पर सम्बन्धित विवेचक द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा।

(ii) तत्पश्चात् अनुसंधान टैब के अन्तर्गत **“अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें”** टैब उपलब्ध है।

(iii) आवश्यकतानुसार प्राथमिकी संख्या, तिथि सीमा का चयन कर खोंजे बटन पर क्लिक करने पर प्राथमिकी प्रदर्शित होगी।

(iv) प्राथमिकी संख्या पर क्लिक कर नामित अभियुक्त का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसे भरकर जमा किया जायेगा।

(v) जमा किये गये विवरण को **‘प्रिंट’** बटन पर क्लिक कर प्रिंट लिया जायेगा।

सम्बन्धित SOP (Standard Operating Procedure मानक संचालन प्रक्रियाएँ) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त विवेचकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पत्र के साथ संलग्न SOP का भली-भाँति अवलोकन करते हुये BNSS की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नोटिस को आनलाइन सीसीटीएनएस के माध्यम से भरते हुये सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारीगण व माननीय न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

Digitally signed by
NAVEEN ARORA
Date: 19-08-2025
19:34:32

(नवीन अरोरा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक – पॉवर कारपोरेशन, CID, EOW, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक – रेलवे, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित इकाईयों/जनपदों को अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिरीक्षक - ए0टी0एस0, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

नोटिस 35(3)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

Integration in CCTNS CAS

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

चरण (1) – सीसीटीएनएस कैस(आनलाईन) पर लागिन

➢ CCTNS CAS LOGIN PAGE

- सर्वप्रथम किसी वेब ब्राउजर मे https://192.168.75.101/CCTNSWeb/Login.aspx लिंक को अंकित करेगें जिसके पश्चात निम्न लागिन पेज खुलेगा जिसमें CAS के लागिन आई0डी0 व पासवर्ड से लागिन करेगें।

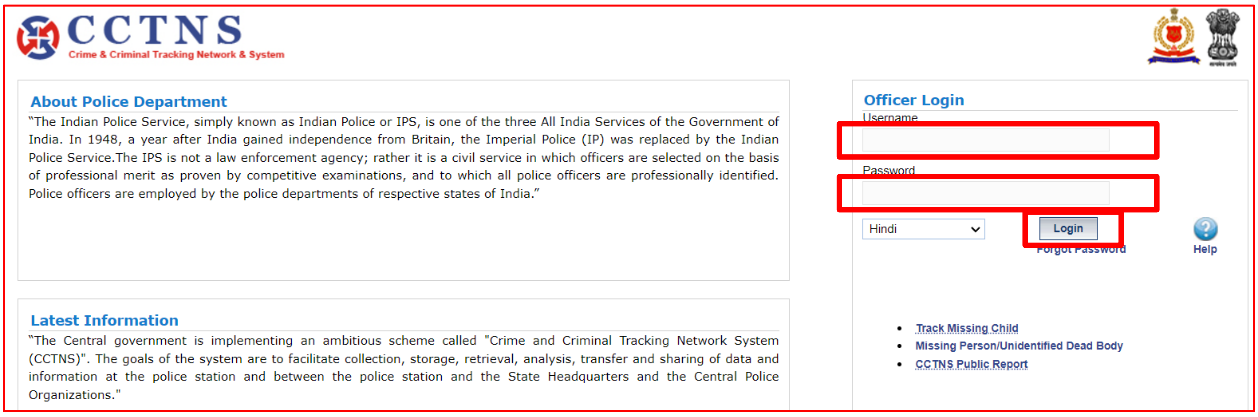

चरण (2) – अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें

- लागिन करने के उपरान्त **अनुसंधान >> अभियुक्त का 35(3) BNSS नोटिस भरें** विकल्प का चयन करेंगें |

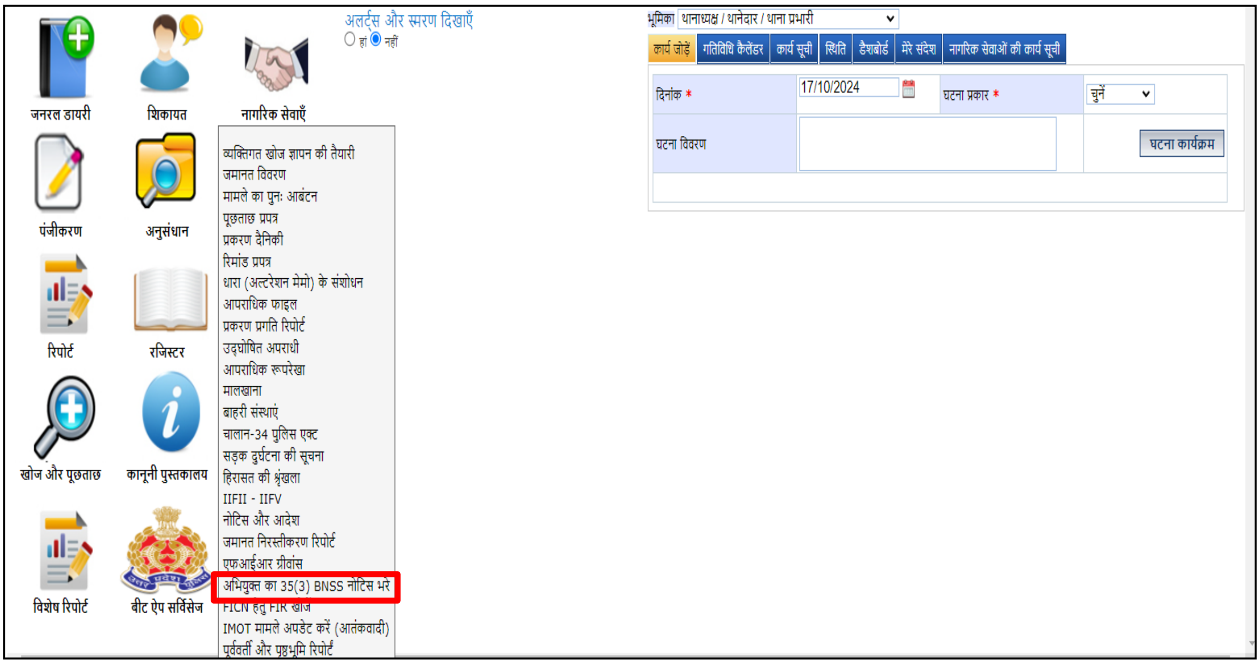

- उक्त विकल्प के चयन के उपरान्त निम्न पेज खुलेगा जिसमें विवेचक द्वारा **प्राथमिकी संख्या** अथवा **तिथि सीमा** का चयन कर खोजें बटन पर क्लिक करेंगे।

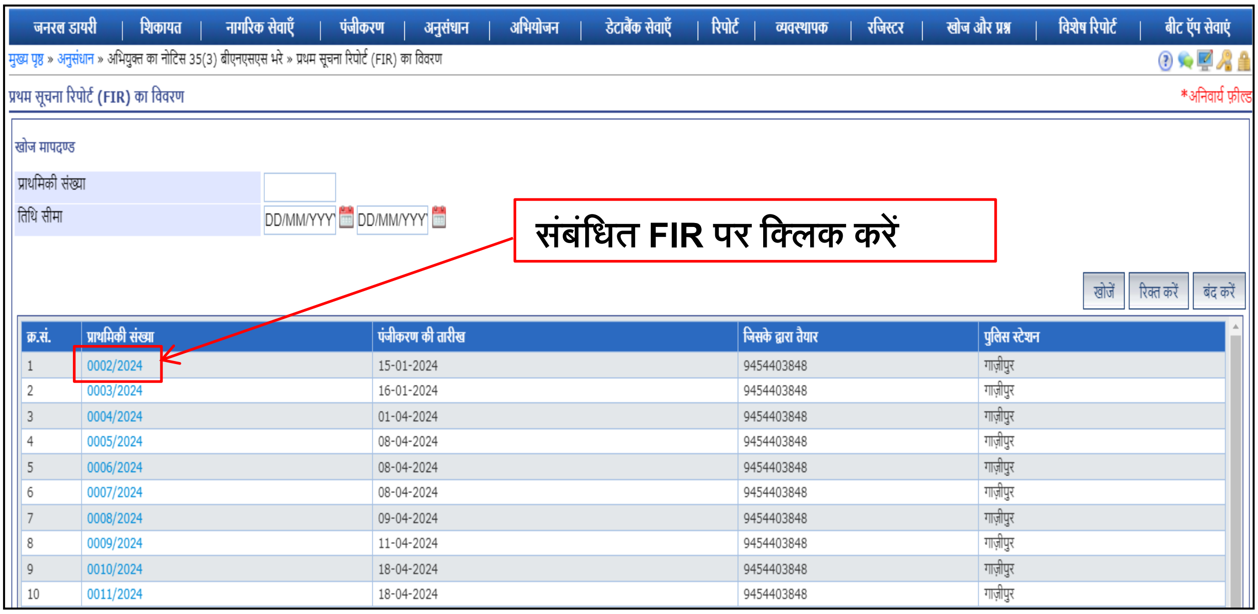

- FIR नं0 पर क्लिक करने के उपरान्त उक्त FIR के संबंधित अभि0गण निम्न प्रकार से प्रदर्शित होगें।

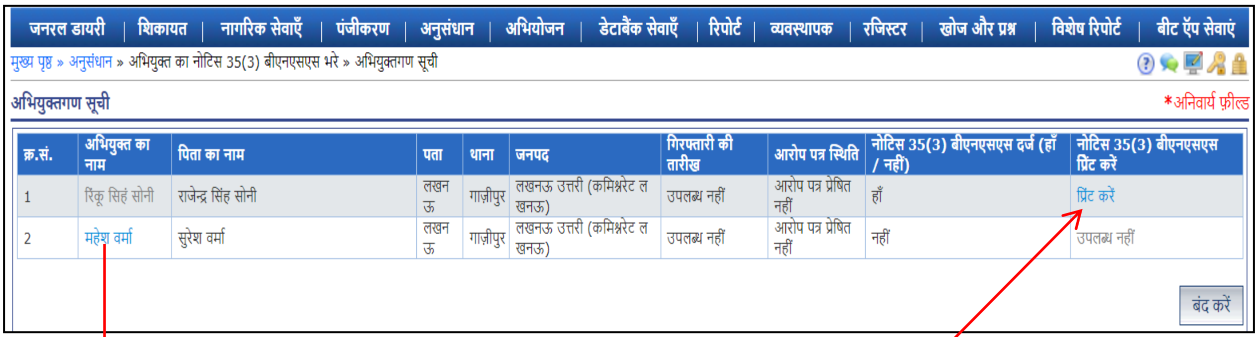
जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न | विशेष रिपोर्ट | बीट ऍप सेवाएं

मुख्य पृष्ठ » अनुसंधान » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस भरे » अभियुक्तगण सूची

अभियुक्तगण सूची *अनिवार्य फ़ील्ड

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	पिता का नाम	पता	थाना	जनपद	गिरफ्तारी की तारीख	आरोप पत्र स्थिति	नोटिस 35(3) बीएनएसएस दर्ज (हाँ / नहीं)	नोटिस 35(3) बीएनएसएस प्रिंट करें
1	रिंकू सिहं सोनी	राजेन्द्र सिंह सोनी	लखनऊ	गाज़ीपुर	लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ)	उपलब्ध नहीं	आरोप पत्र प्रेषित नहीं	हाँ	प्रिंट करें
2	महेश वर्मा	सुरेश वर्मा	लखनऊ	गाज़ीपुर	लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ)	उपलब्ध नहीं	आरोप पत्र प्रेषित नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं

बंद करें

फार्म भरने हेतु क्लिक करें

फार्म भरा जा चुका है, प्रिंट करने हेतु क्लिक करें।

- नोटिस 35(3) BNSS भरने हेतु अभियुक्त के नाम पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार फार्म प्रदर्शित होगा जिसमे मुकदमे एवं अभियुक्त से संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होगें।

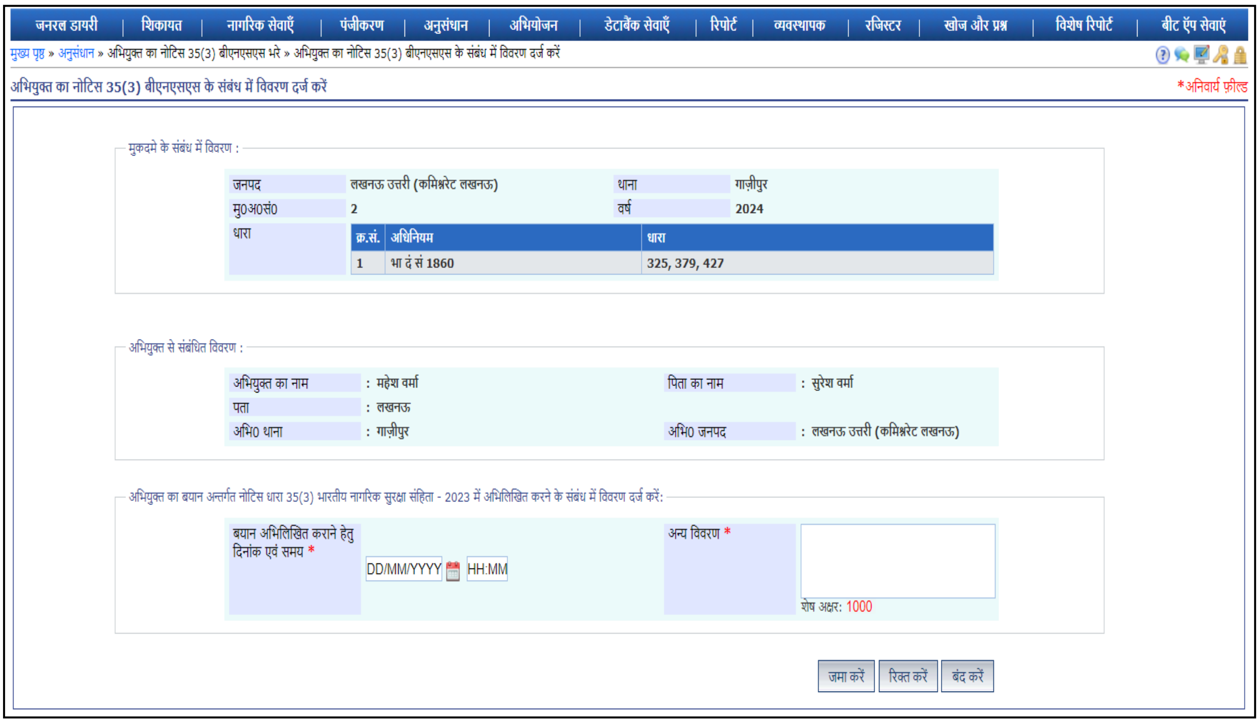
जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न | विशेष रिपोर्ट | बीट ऍप सेवाएं

मुख्य पृष्ठ » अनुसंधान » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस भरे » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस के संबंध में विवरण दर्ज करें

अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस के संबंध में विवरण दर्ज करें *अनिवार्य फ़ील्ड

मुकदमे के संबंध में विवरण :

जनपद: लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ) थाना: गाज़ीपुर
मु0अ0सं0: 2 वर्ष: 2024
धारा:

क्र.सं.	अधिनियम	धारा
1	भा दं सं 1860	325, 379, 427

अभियुक्त से संबंधित विवरण :

अभियुक्त का नाम : महेश वर्मा पिता का नाम : सुरेश वर्मा
पता : लखनऊ
अभि0 थाना : गाज़ीपुर अभि0 जनपद : लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ)

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत नोटिस धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 में अभिलिखित करने के संबंध में विवरण दर्ज करें:

बयान अभिलिखित कराने हेतु दिनांक एवं समय * DD/MM/YYYY HH:MM
अन्य विवरण *
शेष अक्षर: 1000

जमा करें | रिक्त करें | बंद करें

- फार्म में दर्ज विवरण भरेगें तथा फार्म भरने के उपरान्त नीचे दिये **जमा करें** बटन पर क्लिक करेंगें।

○ **जमा करें** बटन पर क्लिक करने के उपरान्त निम्न संदेश प्रदर्शित होगा।

जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न | विशेष रिपोर्ट | बीट ऍप सेवाएं

मुख्य पृष्ठ » अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस भरे

अभियुक्त का नोटिस 35(3) बीएनएसएस विवरण 31655015240002002 सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें

○ प्रिंट करने पर निम्न प्रकार सैंपल पीडीएफ प्रदर्शित होगी।

पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा - 35(3) के अन्तर्गत)

पुलिस स्टेशन -

क्रम सं. -

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम]

[अंतिम ज्ञात पता]

[दूरभाष सं./ई-मेल पता (यदि कोई हो)]

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा - 35 की उपधारा - (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूँ ______ पुलिस स्टेशन पर रजिस्ट्रीकृत ________________________ धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट / मामला संख्या ________ तारीख ________ के अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में आपसे राज्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार है।

अत: आपको _____पूर्वाह्न/अपराह्न तारीख - ________ को पुलिस स्टेशन - ________________________ _______ पर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भारसाधक अधिकारी का नाम :

पद नाम /मुहर :

थाना :

जनपद :

--धन्यवाद--